फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

मेरोदेवी वगै.
बनाम
रामाराम वगै.

किस्म मुकदमा 226 आर.टी एक्ट   न. 40 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2022	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री हरीराम चौधरी एवं कैवियटर अधिवक्ता श्री पवन सिंहल उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 226 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 01/2021 बउनवान मेरोंकुमारी बनाम रामाराम में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 के विरूद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।	

अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पैतृक संपति है। अपीलाधीन आराजी कंवराराम की पैतृक सम्पत्ति है कंवराराम के जीवनकाल में प्रार्थीगण जन्म लेकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार कानूनन जन्म से ही खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया दावा स्पष्ट व मजबूत है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचाराधीन रहते अपीलाधीन आराजी का बेचान किया जाता है तो अपीलांटगण के दावे का औचित्य ही खत्म हो जायेगा। अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है।,अतः अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

कैवियटर अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी का बेचान मुक्ष रेस्पोडेंटस के पक्ष में हस्तगत दावा पेश होने से पूर्व ही बेचान किया गया। रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के सदभावी क्रेता है। क्रयशुदा भूमि पर रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना-पत्र खारीज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपीलाधीन आराजी का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 06 से 08 के पक्ष में दावा पेश होने से पूर्व में ही

राजस्व अपील अधिकारी

किया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांटगण के कब्जो काश्त में हस्तक्षेप करते है तो अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपील एडमिशन स्टेज पर आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2022 में संशोधन करते हुए आदेश दिये जाते है कि जमावंदी मौजा केरलीनाडी पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु के खसरा संख्या 34 रकबा 0.0324 हैक्टयर व खसरा संख्या 634/35 रकबा 42.9822 हैक्टयर भूमि में प्रक्रियाधीन नामान्तरकरण को स्वीकृत करने के आदेश दिये जाते है तथा उसके पश्चात व्यर्थ ही मुकदमेबाजी नहीं बढे इसलिए उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष स्थगन आदेश यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि हस्तगत आवेदन में समुचित सुनवाई करते हुए अधिकतम दो माह में निस्तारण करे। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर